कार्यालय मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण

मा. चित्र संख्या 95-एम-38

श्री/श्रीमती/मै.,

- 2 -

दिनांक 4-8 ...

338

..........श्रीमती ....

..........25-एमत ... मसूरी ।

....

आपके प्रार्थना-पत्र दिनांक 7-11-88 मोहल्ला/ग्राम/कालोनी में ....25-एमत ... मसूरी..........के सन्दर्भ में आपको प्रस्तावित आवासीय निर्माण का संलग्न मानचित्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है।

१— यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से तीन वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

२— मानचित्र की इस स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं किये गये हैं।

३— मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनाधिकृत माना जायेगा।

४— यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित किया जा सके।

५— जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहां शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय को विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

६— दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाई जायेंगी कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढ़े न हों। व किसी अन्य मकान की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों।

७— बिजली की लाईन से ५ फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

८— स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर ही रखनी होगी ताकि मौके पर जांच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र स्पेसिफिकेशन नियमों के अनुसार ... भवन के स्थायित्व की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।

९— सड़क पटरी अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री बिल्डिंग मेटिरियल नहीं रखा जायेगा। गन्दे पानी का मलवा निकासी का समुचित प्रबन्ध स्वयं करना होगा।

१०— निर्माण कार्य समाप्त होने के एक माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करेंगे व तदुपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायेंगे।

११— निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसके काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

१२— पानी की निकासी के लिए बंड छोड़ना होगा।

१३— मानचित्र स्वीकृत होने के एक माह बाद निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

१४— यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी इस बात से सन्तुष्ट है कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपाकर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की गई है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं ... के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।

१५— इस मानचित्र की स्वीकृति को भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा और किसी भी न्यायालय में केवल मानचित्र की स्वीकृति को भू स्वामित्व के साक्ष्य का आधार नहीं माना जायेगा।

१६— सीलिंग से विवादित भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मान ली जायेगी।

१७— रोड वाइडनिंग के क्षेत्र में बाउन्ड्रीवाल, गेट अथवा अन्य किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।

१८— ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की कमी को देखते हुए १५ अप्रैल से ३० जून तक निर्माण नहीं किया जायेगा।

१९— पर्वतीय भू भाग में कोई हिल कटिंग नहीं की जायेगी।

सचिव/उपाध्यक्ष
मसूरी-देहरादून ...
देहरादून

कृपया030-2-

प्रतिलिपी—

सचिव/उपाध्यक्ष
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

20- कोई भी पहाड कटान तथा वृक्ष कटान कटान नहीं किया जायेगा।

21- सरकारी सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जायेगा

22- नगरपालिका तथा जल संस्थान मसूरी की किसी भी सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी तथा खाली स्थान पर वृक्षारोपण करना होगा।

23- विकास शुल्क की शेष धनराशि 66,900/= दो माह के अन्तराल में चार किश्तों में जमा करनी होगी अन्यथा मानचित्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

24- भवन को प्रयोग में लाने से पूर्व अग्नि शमन अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

उपाध्यक्ष,
मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून।

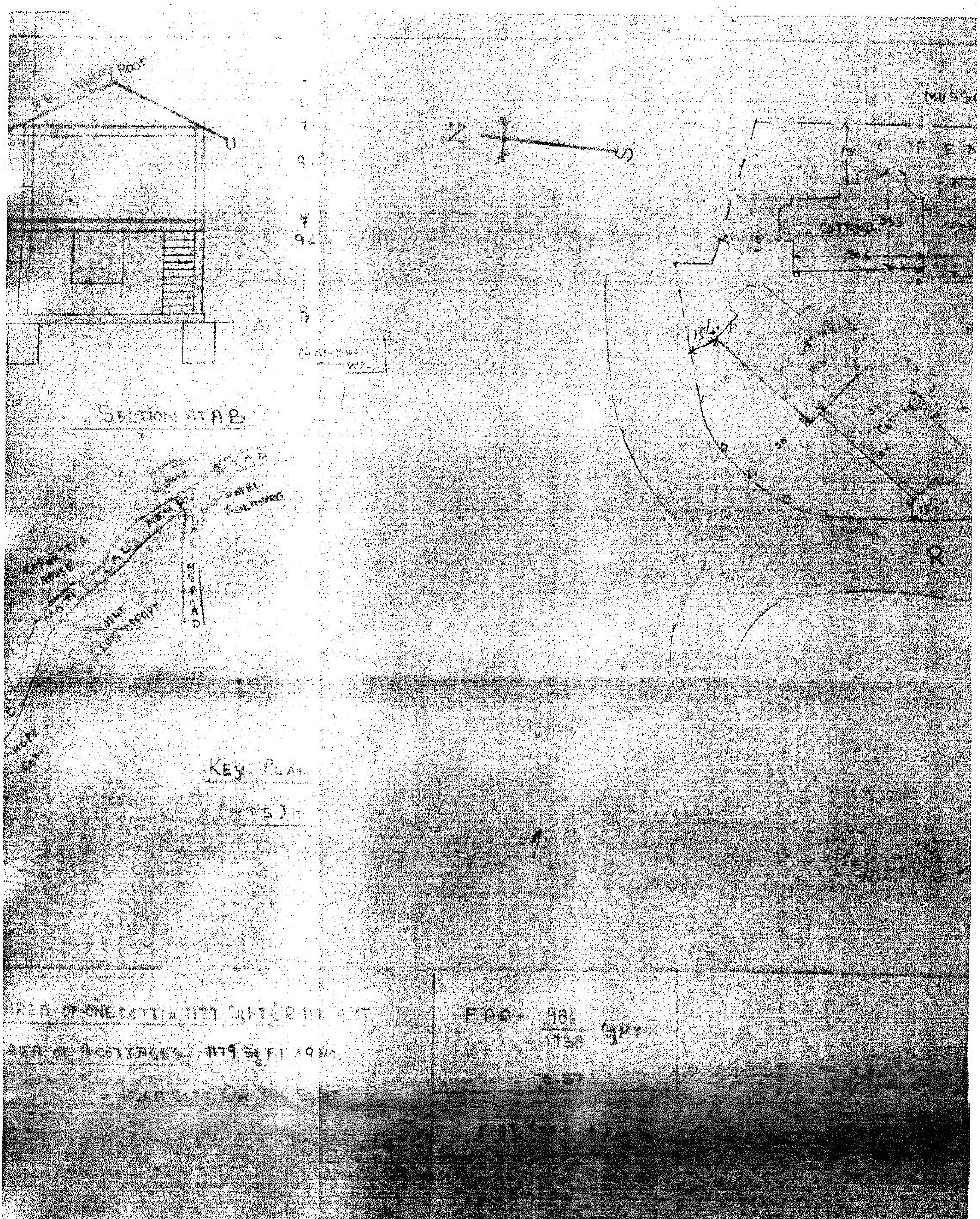
SECTION AT A B
KEY PLAN

(32)

MUSSOORIE MODERN School

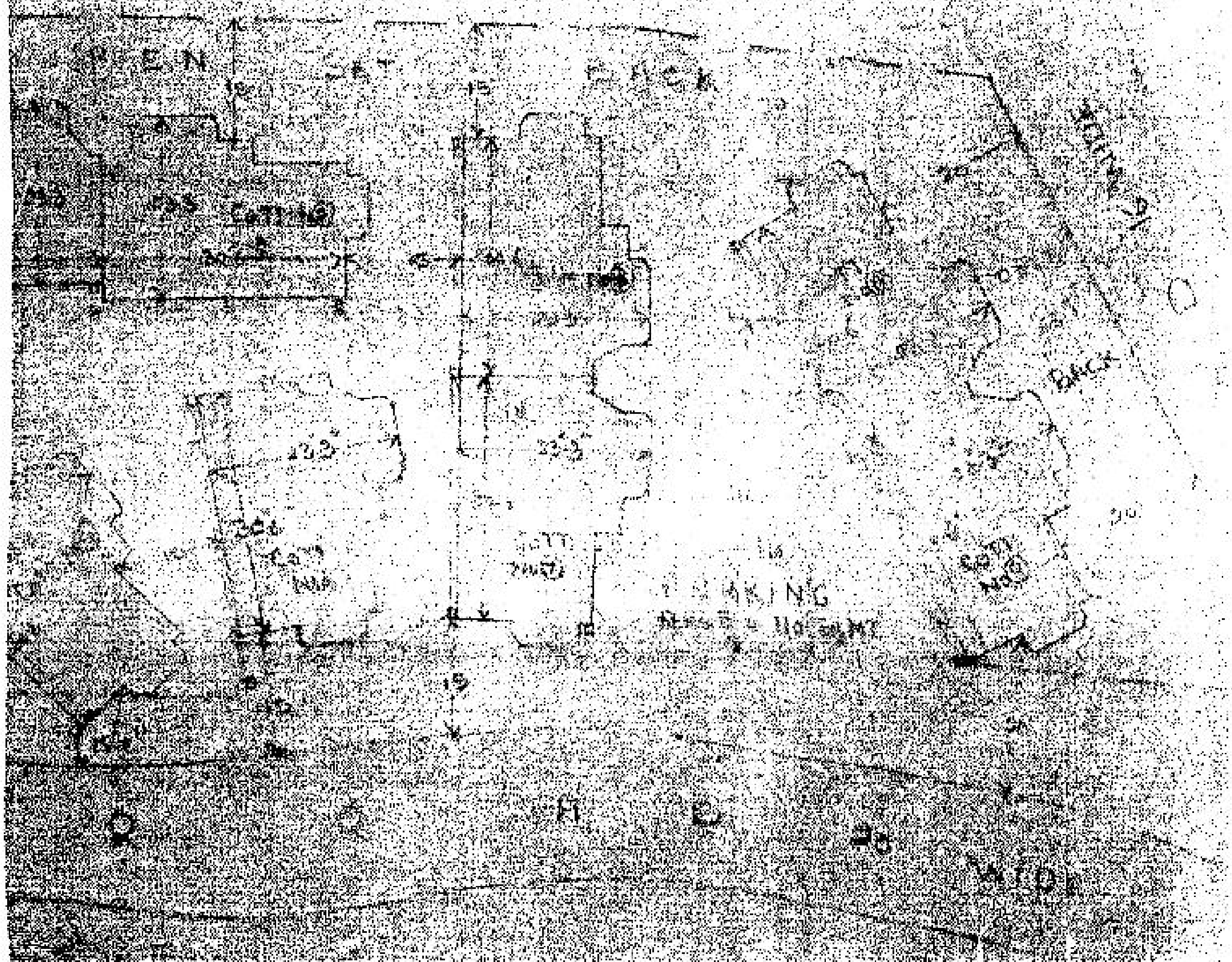

SITE PLAN SCALE 20:1